भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3214

जिसका उत्तर 16 दिसंबर, 2021 को दिया जाना है ।

डिस्कॉम द्वारा विद्युत की खरीद

3214. श्री बालूभाऊ उर्फ **सुरेश नारायण धानोरकर:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राज्यों में विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए अपनी विद्युत आपूर्ति के अनुरूप विद्युत और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा खरीदना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त उद्देश्य हेतु प्रशुल्क नीति, 2016 में कोई संशोधन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु कि राज्य विद्युत बोर्ड की वितरण कंपनियां अनिवार्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद करें, कोई विनियामक तंत्र स्थापित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (च) : केंद्रीय सरकार ने दिनांक 29.01.2021 को दीर्घकालीन नवीकरणीय क्रय दायित्व (आरपीओ) ट्रेजेक्टरी जारी की है। इस आदेश के अनुसार, राज्य आयोग द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी आरपीओ ट्रेजेक्टरी के अनुरूप अपने संबंधित राज्यों के लिए आरपीओ ट्रेजेक्टरी अधिसूचित की जानी है। प्रत्येक डिस्कॉम से, राज्य आयोग का लाइसेंसी होने के कारण, राज्य आयोगों के आदेशों का अनुपालन करना अपेक्षित है।

सरकार ने टैरिफ नीति, 2016 में कोई संशोधन नहीं किया है।

****